न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद 11/2020

वादीगण :–

1. रामाराम पुत्र असलाजी
2. नारणाराम पुत्र असलाजी
3. इमरती पत्नी असलाजी
4. चैनाराम पुत्र गोकलाजी
5. देवाराम पुत्र गोकलाराम
6. तीजों पत्नी कुम्भाराम
7. केसाराम पुत्र कुम्भाराम
8. गोदुराम पुत्र कुम्भाराम
9. रावताराम पुत्र गिरधारीजी
10. पेमाराम पुत्र टीकमाराम
11. मृतक खेताराम के कायम मुकाम
    11/1 आसीदेवी पत्नी खेताराम
    11/2 जोगाराम पुत्र खेताराम
    सभी जातियान जाट निवासीयान साजीयाली तहसील पचपदरा
12. गोविन्दसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी बीजेएस कोलोनी जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।
2. अविनाश पुत्र ओमप्रकाश जाति माहेश्वरी निवासी पचपदरा
3. मृतक भीमसिंह खारवाल के कायम मुकाम
    3/1 रामबाबु पुत्र भीमसिंह उर्फ अर्जुनसिंह जाति खारवाल निवासी पचपदरा
    3/2 राजेन्द्र कुमार पुत्र भीमसिंह उर्फ अर्जुनसिंह जाति खारवाल निवासी पचपदरा
4. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक पचपदरा

<u>दावा बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरस्ती</u>

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी वकील वादीगण

2. राजकीय पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांक :–21.06.2022

(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 81–02 बीघा मौजा आकड़ली [illegible] बक्शीराम में अवस्थित है, उक्त भूमि का उपभोग वादीगण विधि में प्रावधित [illegible] है, [illegible] विरूद्ध रहते हुए करते रहते रह रहे है। प्रतिवादीगण संख्या [illegible] आवश्यक [illegible] है, [illegible] ही है। कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण खेतीहर कृषक है, [illegible] रही, उक्त वादीगण के खातेदारीकब्जा काश्त की ऊपर वर्णित कृषि भूमि एक ही चक में अवस्थित रही, उक्त तथ्य जमाबंदी खाता संख्या 6/76 संवत 2073–76 से ही स्पष्ट है। जो रकबा [illegible]न में दर्ज है, ऐसा रकबा वक्त सेटलमेंट से दर्ज रहा है, जिसके राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस की स्थिति खतौनी से भिन्न है, क्योंकि खसरा नं. 88 में वादपत्र के संलग्न मार्क ए.बी.सी.डी. स्थान पर लाल पेन से उक्त नक्शे में लकीरें खीची गयी, उक्त लकीरे किसके आदेश से कब तथा क्यों खीची

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:13:42 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

गयी , इस बाबत कभी कोई रकर्ड में अमलदरामद की प्रविष्टि तक नहीं हुई, यदि ऐसी लाल लकीरे खीचीं जाती और वो लकीरे किसी विधिक प्रक्रिया के तहत खीचीं जाती है तो मूल खसरे में से उक्त लाल लकीरों के मध्य यानि मार्क ए.बी.सी.डी. की भूमि तरमीमी खसरा अंकित होता तथा सड़क के उत्तरी व दक्षिणी भाग में शेष रकबों के भी तरमीमी खसरान अंकित किये जाते। किन्तु ऐसे कोई तरमीमी खसरान का अंकन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खातौनी, लट्ठा ट्रेस में नहीं है। वादीगण जो खेतीहर कृषक है, के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एवं अधिनस्थ कर्मचारियों से इस बारे में पूछा तो बताया कि ये लकीरे सड़क की भूमि है। यहां यह भी निवेदन किया गया कि ऐसी सड़क की भूमि वादीगण के खाते में से कब अवाप्त की गयी, और किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से उसकी तरमीम की और यदि ऐसी तरमीम की गई, तो ऐसी तरमीम यानि सड़क की भूमि का रकबा क्या रहा, और उसके तरमीमी खसरा संख्या क्या है, इस बाबत कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया, इस कारण वादीगण के विधिक हक प्रतिकूल रूपसे प्रभावित हो रहे है।

ऐसी स्थिति में वादीगण ने रेकर्ड दुरूस्ती हेतु घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती करने कावर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत कर अन्त में निवेदन किया गया कि वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 81–02 बीघा मौजा आकड़ली बक्शीराम के राजसव रेकर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस में दर्ज लाल लकीरे खींची गयी है, उसे हटाई जावे, या उक्त विकल्प में उक्त लाल लकीरों जिसे वाद के संलग्न नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.से दर्शाया गया है, के मध्य जुदा गुना खसरा नम्बर जमाबंदी खतौनी में अंकित करते हुएउक्त भूमि के बाद में जो उत्तर व दक्षिण दिशा में शेष रही भूमि के तरमीम कर खसरा नम्बर अंकित किये जावे।

वादीगण का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। वादीगण प्रतिवादीगण की और से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना से राजीनामा हो गया है, माफिक राजीनामा वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर वादीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 88 रकबा 81–02 बीघा मौजा आकड़ली बक्शीराम के राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल लकीरे हटाई जाना स्वीकार किया है, माफिक राजीनामा वादीगण के वादपत्र को स्वकार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण सहमत है। माफिक राजीनामा वादीगण के वादपत्र को सवीकार कर डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक साजीयाली पदमसिंह एवं पटवारी हल्का आकड़ली से इस सबंध में मौका की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु तहरीर जारी की गयी।

भू–अभिलेख निरीक्षक साजीयाली पदमसिंह एवं पटवारी हल्का आक[illegible] द्वारा [illegible]क 30. 05.2022 को मौका की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की [illegible] अभिलेख निरीक्षक साजी[illegible] पदमसिंह एवं पटवारी हल्का आकड़ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जाहिर किया [illegible] आकड़ली बक्शीराम के खसरा नम्बर 88 रकबा 81–02 बीघा में से राष्ट्रय राज मार्ग सड़क [illegible]ता है,लट्ठा ट्रेस में इस सड़क का चिन्हीकरण किया हुआ है, जमाबंदी एवं नक्शे दोनों में ही उक्त सड़क का कोई अलग से खसरा नम्बर दर्ज नहीं है। लट्ठा ट्रेस में किये गये सड़क के चिन्हीकरण व मौके परचल रही सड़क की अवस्थिति में भिन्नता है। सलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मौके पर

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:13:42 IST
Reason: SelfAttested

चल रही सड़क के उत्तर दिशा में इस खसरें की 54 बीघा एवे दक्षिण दिशा में इस खसरें की 19–01 बीघा भूमि सड़क सीमा में रकबा 08–01 बीघा का अंकन करते हुए तीन खसरों का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना उचित है। मौका फर्द व नक्शा परिशिष्ट 'अ' जिसमें दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शा जांच रिपोर्ट के सलग्न प्रस्तुत की गयी।

हमनें वादी वकील एवं राजकीय पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया व पत्रावली व पत्रावली में संलग्न भू–अभिलेख निरीक्षक साजीयाली पदमसिंह एवं पटवारी हल्का आकड़ली द्वारा दिनांक 30.05.2022 को मौका की वस्तुस्थिति रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व नक्शा परिशिष्ट 'अ' जिसमें दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शा तथ्यात्मक रिपोर्ट का गहनता अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिसमें वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों एवं उभय पक्षकारान के द्वारा लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रस्तुत राजीनामा एवं पेरोकार सरकार ने जाहिर किया गया कि भू–अभिलेख निरीक्षक साजीयाली पदमसिंह एवं पटवारी हल्का आकड़ली द्वारा दिनांक 30.05.2022 को मौका की वस्तुस्थिति रिपोर्ट के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों एवं उभय पक्षकारान के द्वारा लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रस्तुत राजीनामा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक साजीयाली पदमसिंह एवं पटवारी हल्का आकड़ली द्वारा दिनांक 30.05.2022 को मौका की वस्तुस्थिति रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व नक्शा परिशिष्ट 'अ' एवं विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर वादीगण के दावा स्वीकार करने एवं डिक्री करने योग्य होने से वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है मौजा सरहद मौजा आकड़ली बक्शीराम तहसील पचपदरा के भू–अभिलेख निरीक्षक साजीयाली पदमसिंह एवं पटवारी हल्का आकड़ली द्वारा दिनांक 30.05.2022 को द्वारा प्रस्तावित सलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मौके पर चल रही सड़क के उत्तर दिशा में इस खसरें की 54 बीघा एवे दक्षिण दिशा में इस खसरें की 19–01 बीघा भूमि सड़क सीमा में रकबा 08–01 बीघा का अंकन करते हुए तीन खसरों का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। भू–अभिलेख निरीक्षक साजीयाली पदमसिंह एवं पटवारी हल्का आकड़ली द्वारा दिनांक 30.05.2022 को मौका की वस्तुस्थिति रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस निर्णय के अभिन्न अंग होगें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:13:42 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा